## MRA Este VIIII

**EXTRAORDINARY** 

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 779]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2011 वैशाख 12, 1933

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2011/VAISAKHA 12, 1933

No. 779] NEW DELHI, MONDAY, MAI 2, 2011/

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2011

का.आ. 961(अ).—गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 5.2.1997 की अधिसूचना सं.सां.आ. 85(अ) में आगे निम्निलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः

<b>"</b> 6.	डा. गिरिजा वाग,संयुक्त सचिव,चैतन्य, कर्वे नगर, पुणे	सदस्य
7.	डा. गायत्री ठक्कर, एमडी, गायनीकोलॉजिस्ट व आबस्टेट्रिसियन,	सदस्य
	चिद्धित्वनायक हॉस्पिटल, जामनगर, गुजरात	सदस्य
8.	डा. बाना सरकार, एचआडा, १६.जाफ जापर कर्	
9.	डा. संजय अंनत गुप्ते, पूर्व आबस्टेट्रिक्स प्रेसिडेन्ट, एफओजीएसआई,	सदस्य
10.	मुम्बई डा. वी.के.पॉल, प्रोफेसर एंड हेड, डि. ऑफ पेडियाट्रिक्स विभाग,	सदस्य
10.	एम्स, नई दिल्ली	

1565 GI/2011

	THE GAZETTE OF THE	
11.	सुश्री रिवन्द्र कौर, प्रोफेसर, सोसियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमेनिटिज एंड सोशल साइंसेज विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,	सदस्य
12.	दिल्ली डा. राजीव यारवदेकर, डायरेक्टर, सिम्बायोसिस इन्सटीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड डीन, फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज. सिम्बायोसिस	सदस्य
13.	हेल्थ साइसज एड डान, फकल्टा जान हरूप राज्य इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, सेनापित बापत रोड, पुणे प्रो. डी.एम. दिवाकर, डायरेक्टर, डा. ए.एन.सिन्हा इन्सटीट्यूट ऑफ	सदस्य
14.	सोशल साइंसेज, पटना, बिहार	सदस्य सदस्य
15.	डा.निलम सिंह, सफ्रेटरा, बाररार पं, राज्य डा. सुभाष मेंधापुरकर, डायरेक्टर, सोसायटी फॉर सोशल अपलिफ्ट थ्रो रूरल एक्शन (सृत्र), जगजीत नगर, वाया-जुब्बेर, हिमाचल प्रदेश	

उपर्युक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की तारीख से शुरू होकर तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगा।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या-19,20,21,22, और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

लज्या	जार प्राचा उत्तर प्राच्याची क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली	सदस्य
19.	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली	सदस्य
20	मिन्त (म्नाप्ट्य एवं परिवरि केल्याण), करेल सर्पार	सदस्य
21.	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), पंजाब सरकार	सदस्य
22.	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राजस्थान सरकार	

उपर्युक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की तारीख से शुरू होकर एक वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगा।

3. (केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (कार्य संपादन) विनियमन, 1999 के विनियम 5 के साथ पठित गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 11 (1) के संदर्भ में, निम्नलिखित व्यक्ति अगले आदेशों तक केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड में विशेष आमंत्रित व्यक्ति होंगे)।:

नम्नलिखित व	व्यक्ति आग्ले आदेशों तक कन्द्राय प्रयुप्ता नाउ प्रिंसिडेट, इंडियन रेडियोलॉजीकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन, नई	विशेष आमंत्रित
24.	प्रसिद्धंट, इंडियन रोडियलिजिकिल एउ स्पार र	
1	दिल्ली	विशेष आमंत्रित
25.	दिल्ला सेक्रेटरी जेनरल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नई दिल्ली प्रेसिडेन्ट, फेडरेशन ऑफ ऑब्सट्रेटिक एंड गायनीकोलॉजिक	विशेष आमंत्रित
26.	प्रेसिडेन्ट, फेडरेशन आफ आब्सट्राट्या ५०	

	क्षेत्र (मार्थाजीवस्थार्द)	
	सोसायटीज ऑफ इंडिया (एफओजीएसआई)	विशेष आमंत्रित
27.	$-2$ $\frac{1}{2}$	विशेष आमंत्रित
28.	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), जम्मू एंड कश्मीर सरकार	विशेष आमंत्रित
.9.	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), हरियाणा सरकार	विशेष आमंत्रित
30.	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), गुजरात सरकार	विशेष आमंत्रित
31.	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), हिमाचल प्रदेश सरकार	विशेष आमंत्रित
32.	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग डा. नीलम सिंह, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एफ-20, फर्स्ट	विशेष आमंत्रित
33.	डा. नीलम सिंह, एडवाकट, सुप्राम काट जान राजना, फ्लोर, विश्वकर्मा कॉलोनी, एमबी रोड, नई दिल्ली-110062	
34.	सुश्री एना सिंह, यूएनएफपीए	विशेष आमंत्रित

[फा. सं. 24026/1/2004-पीएनडीटी] अनुराधा गुप्ता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना 5 फरवरी, 1997 के सां.आ. 85 (अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई और 28 फरवरी, 1998 के सां.आ. 160 (अ) के तहत संशोधित की गई। इसमें आगे और संशोधन सां.आ. 964 (अ) दिनांक 13 अगस्त, 1998; सां.आ. 61 (अ) दिनांक 14 जनवरी, 2000; सां.आ. 114 (अ) दिनांक 1फरवरी, 2000; सां.आ. 349 (अ) दिनांक 20 अप्रैल, 2001, सां.आ. 931 (अ) दिनांक 19 सितम्बर, 2001, सां.आ. 590 (अ) दिनांक 31 मई, 2002, सां.आ. 119 (अ) दिनांक 12 नवम्बर, 2002, सां.आ. 703 (अ) दिनांक 18 जून, 2003, सां.आ. 1458 (अ) दिनांक 23 दिसम्बर, 2003, सां.आ. 99 (अ) दिनांक 20 जनवरी, 2004, सां.आ. 367(अ) दिनांक 17 मार्च, 2004, सां.आ. 1008 (अ) दिनांक 16 सितम्बर, 2004, सां.आ. 56 (अ) 19 जनवरी, 2006, सां.आ. 199 (अ), दिनांक 10 फरवरी, 2006, सां.आ. 1854 (अ) दिनांक 30 अक्तूबर, 2006, सां.आ. 1506 (अ), दिनांक 16 जून, 2008, सां.आ. 130 (अ), दिनांक 6 जनवरी, 2009 तथा सां.आ. 2143 (अ) और सां.आ. 43 (अ) दिनांक 20 अगस्त, 2009 के तहत किया जाएगा।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE **NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th April, 2011

S.O. 961(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 read with Section 8 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification No. S.O. 85(E) dated the 5th February, 1997, issued by Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:

2. In the said notification for serial numbers 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"6.	Dr. Girija Wagh,	Member
	Joint Secretary,	
	Chaitanya, Karve Nagar, Pune.	
7.	Dr. Gayatri Thaker, M.D.,	Member
	Gynaecologist & Obstetrician,	
	Siddhivinayak Hospital, Jamnagar, Gujarat.	
8.	Dr. Bani Sarkar, HOD,	Member
	Department of Obstetrics and Gynaecology,	
a.	Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi.	
9.	Dr. Sanjay Anant Gupte,	Member
	Former President, FOGSI, Mumbai.	
10.	Dr. V. K. Paul, Professor & Head,	Member
	Department of Paediatrics, AIIMS, New Delhi.	
11.	Ms. Ravinder Kaur,	Member
,	Professor, Sociology & Social Anthropology,	
	Department of Humanities & Social Sciences,	
	Indian Institute of Technology, Delhi.	
12.	Dr. Rajiv Yaravdekar,	Member
	Director, Symbiosis Institute of Health Sciences &	
	Dean, Faculty of Health Sciences,	. }
	Symbiosis International University,	
	Senapati Bapat Road, Pune.	
13.	Prof. D. M. Diwakar,	Member
	Director,	
	Dr. A. N. Sinha Institute of Social Sciences,	
	Patna, Bihar.	
14.	Dr. Neelam Singh,	Member
	Secretary,	
1	Vatsalya, Lucknow, Uttar Pradesh.	

15.	Dr. Subhas Mendhapurkar,	Member
	Director,	
	Society for Social Uplift Through Rural Action	
,	(SUTRA),	
	Jagjit Nagar, Via-Jubber, Himachal Pradesh.	·

The term of office of the above members shall be for a period of three years commencing from the date of this notification or till further orders whichever is earlier.

2. In the said notification for serial numbers 19, 20, 21, 22, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

19.	Secretary (H&FW), Govt. of GNCT, Delhi	Member
20.	Secretary (H&FW), Govt. of Kerala	Member
21.	Secretary (H&FW), Govt. of Punjab	Member
22.	Secretary (H&FW), Govt. of Rajasthan	Member

The term of office of the above members shall be for a period of one year commencing from the date of this notification or till further orders whichever is earlier.

3. [In terms of Section 11 (1) of the Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Technique (Prohibition of Sex selection) Act, 1994, read with Regulation 5 of the Central Supervisory Board (Transaction of Business) Regulations, 1999, the following shall be the Special Invitees in the Central Supervisory Board (CSB) till further orders]:

24.	President, Indian Radiological & Imaging Association, New Delhi.	Special Invitee
25.	Secretary General, Indian Medical Association, New Delhi	Special Invitee

1565 4011-2

26.	President, Federation of Obstetric and Gynaecologic Societies of India (FOGSI)	Special Invitee
27.	Ms. Brinda Karat, M.P.(Rajya Sabha)	Special Invitee
28.	Secretary (H&FW), Government of J&K	Special Invitee
29.	Secretary (H&FW), Government of Haryana	Special Invitee
30.	Secretary (H&FW), Government of Gujarat	Special Invitee
31.	Secretary (H&FW), Government of H.P.	Special Invitee
32.	Member Secretary,	Special Invitee
!	National Commission for Women	_
33.	Dr. Neelam Singh, Advocate,	Special Invitee
	Supreme Court of India,	
,	F-20, 1st Floor, Viswakarma Colony,	
,	M.B. Road, New Delhi – 110062	
34.	Ms.Ena Singh, UNFPA	Special Invitee

[F. No. 24026/1/2004-PNDT]

ANURADHA GUPTA, Jt. Secy.

Footnote:-The Principal notification was published in the Gazette of India vide S.O.85(E) dated 5th February, 1997 and amended vide S.O. 160(E) dated 28th February, 1998 and further amended vide S.O. 694(E) dated 13th August 1998; S.O. 61(E) dated 14th January, 2000; S.O. 114 (E) dated 1st February, 2000; S.O. 394 (E) dated 20th April, 2001; S.O. 931 (E) dated 19th September, 2001; S.O. 590 (E) dated 31st May, 2002; S.O. 119 (E) dated 12th November, 2002; S.O. 703 (E) dated 18th June, 2003; S.O. 1458(E) dated 23rd December, 2003; S.O. 99 (E) dated 20th January, 2004; S.O. 367(E) dated 17th March, 2004; S.O. 1008(E) dated 16th September, 2004; S.O. 56(E)19th January, 2006; S.O. 199(E) dated 10th February, 2006; S.O. 1854(E) dated 30th October, 2006; S.O. 1506(E) dated 16th June, 2008; S.O. 130(E) dated 6th January, 2009 and S.O. 2143(E) dated 20th August, 2009.